



# गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, कमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)  
GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)  
(A Central University established by the Central University Act., 2009 NO.25 of 2009)  
Web Site – www.ggu.ac.in, ph. No. 07752-260021, fax No. 07752-260148,154

क.....441/अका./शोध/शिक्षा/2019

बिलासपुर, दिनांक...08.01.2020

(पंजीकृत डाक द्वारा)

प्रति,

Manisha vijayvargiya (Research Scholar)  
Department of Education  
Guru Ghasidas vishwavidyalaya,  
Bilaspur (C.G.)

विषय:- यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के प्रावधानानुसार पीएचडी0 उपाधि के लिए पंजीयन।

विभागीय शोध समिति की बैठक दिनांक 15-03-2018 एवं 25-06-2019 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शोध कार्य हेतु (विषय) शिक्षा, विद्यापीठ शिक्षा में आपका पंजीयन सक्षम संस्तुति उपरान्त निम्नानुसार किया जाता है:-

शोध का विषय शीर्षक		शोध निर्देशक	
A Correlational Study of Self-Confidence of Adolescent Students With Reference To Scholastic and Co-scholastic Achievement		Dr.Chandra Shekhar Vazalwar, Associate Professor, Dept.of Education G.G.V. Bilaspur	
शोध केन्द्र	पंजीयन क्रमांक	पंजीयन तिथि	नामांकन क्रमांक
Dept.of Education Guru Ghasidas Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)	105014606	15-03-2018	GED/09/357

- आप यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश एवं विनियमन में उल्लिखित नियमों के अनुसार पीएच.डी. शोध कार्य करेंगे। उक्त अध्यादेश/विनियम को कडिका-10 के अनुसार शोध पंजीयन तिथि से प्रति छः माही प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति का लेखा शोध निर्देशक द्वारा अनुशंसित एवं DRC/Dean के संस्तुति / अनुमोदन के पश्चात जमा करना होगा। यदि निरंतर दो सेमेस्टर प्रतिवेदन असंतोषजनक पाये गये अथवा एक वर्ष तक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो शोध-पंजीयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा। शोधग्रन्थ प्रस्तुत करने की तिथि से लगभग एक माह पूर्व आठ प्रतियों में शोधग्रन्थ का सार संक्षेप (समरी) शोध निर्देशक के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

कमशः